

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/बी3-109/17 श्र0सं0- 146  
बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना ।  
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना/ मुजफ्फरपुर ।

कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय/पूर्णिया अंचल, पूर्णियाँ/छपरा अंचल, छपरा ।

पटना, दिनांक- 13-2-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-102-कार्य की परिस्थितियाँ और सुरक्षा- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0002-कारखानों के निरीक्षक (विपत्र कोड-26 2230011020002) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	01-वेतन				11-यात्रा व्यय	13 कार्यालयी व्यय	14 किराया दरें और कर	योग- 26-2230.01. 102. 0002-कारखानों के निरीक्षक
		0002.01.01 वेतन	0002.01.03 जीवन यापन भत्ता	0002.01.04 मकान किराया भत्ता	योग-26-223 0.01.102. 0002. 01-वेतन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना	-	-	-	0	-	10000	-	10000
2	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना	-	-	-	0	8000	-	-	8000
3	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुजफ्फरपुर	60000	70000	20000	150000	-	-	-	150000
4	कारखाना निरीक्षक, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	-	-	-	0	50000	-	33000	83000
5	कारखाना निरीक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णियाँ	35000	40000	5000	80000	-	-	-	80000
6	कारखाना निरीक्षक, छपरा अंचल, छपरा	-	-	-	0	-	-	25000	25000
	कुल योग	95000	110000	25000	230000	58000	10000	58000	356000

कुल आवंटित राशि ₹ 3,56,000/- (₹ तीन लाख छप्पन हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2)दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- योग वेतन एवं जीवनयापन भत्ता में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

7. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

13/02/18  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/बी3-109/17 श्र.सं.

146

पटना, दिनांक

13-2-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक- 6/बी3-109/17 श्र.सं.

146

पटना, दिनांक

13-2-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-109/17 श्र.सं.-

146

पटना, दिनांक

13-2-18

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार

\*स्पीड पोस्ट